खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय,
"घ" खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल- मध्यप्रदेश

क्रमांक 1685

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 2023

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।

विषय- मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना बाबत्।

संदर्भ- विभाग का आदेश क्र. FCS/7/1/2022-1 दिनांक 21.11.2022 एवं पत्र क्र. एफ 89/पीएस फूड/2023 दिनांक 03.03.2023.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकान तक राशन सामग्री के परिवहन हेतु वाहन क्रय के लिए बेरोजगार युवकों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाना है।

योजनांतर्गत हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम दिनांक 24.03.2023 निर्धारित है। हितग्राहियों के अपेक्षित आवेदन प्राप्त न होने के कारण जिलों द्वारा अवधि बढ़ाने के अनुरोध के आधार पर अंतिम दिनांक 31.03.2023 निर्धारित की जाती है।

अत: उक्त अवधि में इच्छुक एवं पात्रताधारी हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा जिला परिवहन अधिकारी के माध्यम से हेवी व्हीकल लायसेंसधारी हितग्राहियों को भी योजना के बारे में अवगत कराया जाए।

(दीपक सक्सेना)
संचालक,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
मध्यप्रदेश.

पृ. क्रमांक 1686

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 2023

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी, मध्यप्रदेश।

संचालक,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
मध्यप्रदेश.